THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T. R. BAALU): (a) The Oil Industry (Development) Act, 1974 provides for the establishment of a Board for the development of Oil Industry. Under Section 2 (k) of this Act, the term "oil industry" includes all activities by way of prospecting or exploring for or production of mineral oil, refining, processing, transportation, storage, handling and marketing of mineral oil, production, and marketing of all products, downstream of an oil refinery and the production of fertilizers and petrochemicals and all activities directly or indirectly connected therewith. Thus, the term "oil industry" includes fertilizers and petrochemicals for the purposes of the Act.

(b) and (c) As per Section 16 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 the cess is to be first credited to the Consolidated Fund of India and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Oil Industry Development Board such sums of money out of the proceeds of cess as the Government may think fit for being utilised for the development of oil industry which, *inter-alia* includes petroleum, petrochemicals and fertilizers. To the extent, the cess collection exceeds the sums directly paid to Oil Industry Development Board, it becomes a resource for financing Government expenditure in and for extending direct and indirect budgetary support to the Central Public Sector Undertakings in petroleum, petrochemicals and fetilizers sector. The Department of Central Excise collects the cess and remits it to the Consolidated Fund of India. A sum of Rs. 902.40 crores out of the total collection of Rs. 28,900 crores (approximately) has been allocated to Oil Industry Development Board till 31st March, 1997 by the Ministry of Finance.

मुम्बई और दिल्ली के बीच रेल दुर्घटनाएं

1983. **श्री राघवजी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान मध्य रेलवे में मुम्बई-दिल्ली के बीच घटी रेल-दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या-क्या कारण हैं;

(ग) क्या तोड़-फोड़ की घटना के कारण भी कोई दुर्घटना घटी है; यदि हां, तो क्या दोषियों को गिरफ्तार किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) 1996-97 के दौरान मध्य रेल के नई दिल्ली मुंबई मार्ग पर 32 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थी जिसमें गाड़ियों की टक्कर संबंधी 5, गाड़ियों के पटरी से उतरने संबंधी 24, समपार दुर्घटना संबंधी 1 और गाड़ियों में आग लगने संबंधी 2 मामले शामिल हैं।

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूक, उपस्कर की खराबी तोड़-फोड़ और आकस्मिक कारक थे।

(ग) जी हां, 13.10.96 को झांसी मंडल खण्ड के बीना-झांसी खण्ड के अगरसोड स्टेशन पर 2723 एन्पी० एक्सप्रेस के 10 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। राजू और इस्माइल नाम के दो अपराधियों को राजकीय रेल पुलिस/बीना द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

(घ) संरक्षा के बारे में और दुर्घटना से बचाव के लिए किये गये उपायों में से कुछ निम्नानुसार है:—

(i) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटना में मानवीय चूक के कारणों को न्यूनतम करने के लिए सिगनल सर्किटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) बम्बई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को "खतरे के सिगनल" की अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैम्पिंग और गिट्टी क्लिनिंग मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(v) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशिष्टताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य एक्सेलेरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(vi) कई डिपुओं में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और ग्रेडोन्नयन किया गया है।

(vii) धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में पड़ने वाली दरारों का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहाल डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाए गए हैं।

(viii) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(ix) किस तरह से समपार सुरक्षित ढंग से पार किया जाए इसके लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए आडियो-विजुअल प्रचार-प्रसार अभियान चलाए जाते हैं।

(x) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

(xi) ड्राइवरों के प्रशिक्षण मे सिमुलेटरों के उपयोग सहित ड्राइवरो, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है।

(xii) निर्धारित अंतरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(xiii) गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है और जिन कर्मचारियों में कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xiv) कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता जागृत करने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

Upgradation in the Cadre of Officers

1984. SHRI JALALUDIN ANSARI: Will the Minister of RAILWAYS be please to state:

(a) whether it is fact that upgradation in the cadre of officers was effected in 1973 and 1980. With an undertakings to the Cabinet Secretariat to mainly benefit the Group 'B' officers on Indian Railways;

(b) if so, whether this upgradation has since been implemented;

(c) if so, the number of Group 'B' officers actually benefit from this scheme;

(d) if not, whether the administration proposes to extend the benfit to Group 'B' officers;

(e) if so, by when; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) In 1973 and 1980, 220 and 382 posts, respectively, of Assistant Officers were upgraded to Senior Scale. These upgradations were, inter-alia, to facilitate larger induction of Group 'B' officers into Group 'A'

As many as 463 posts in Junor Scale of Group 'A' Services were provided for promotion exclusively from Group 'B' officers as a special case in addition to the normal promotion quota. However, in case of three department filling up of additional posts exclusively by promotion from Group 'B' was set aside by the Tribunals.

(d) to (f) Do not arise.

Model Railways Stations in Punjab

1985. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of railways stations proposed to be developed as model railway stations in the State of Punjab during the year 1997-98;

(b) the stations developed as modell railway stations in the State so far;

(c) what are the details of facilities available in these stations;